न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 229/2018

GCMS NO. : 2018/00202

–:: वादीगण ::–

भगवान श्री श्याम जी महाराज जरिये मंदिर के पूजारी

1.घीसूदास पुत्र हीरा दास के

का.मु. 1/1. बिदामी पत्नी घीसुदास

1/2. माणकदास पुत्र घीसुदास के का.मु.

1/2/1. श्रवणदास पुत्र माणकदास

1/2/2. दिनेशदास पुत्र माणकदास

1/2/3. गोविन्ददास पुत्र माणकदास

1/3. ओमप्रकाश पुत्र घीसुदास

1/4. मुरलीदास पुत्र धीसुदास

1/5. श्यामदास पुत्र घीसुदास

समस्त कोम– वैष्णव साद, निवासी– डिगरणा, तहसील–जैतारण।

2. मदनदास पुत्र हीरादास के का.मु.

1. शिम्भु दयाल पुत्र मदनदास निवासी– डिगरणा, तहसील–जैतारण।

3. सुखरामदास पुत्र हीरादास के का.मु.

1. सायरी पत्नी सुखदास
2. रामस्वरूप पुत्र सुखदास
3. बजरंगदास पुत्र सुखदास

4. आनन्दप्रकाश पुत्र मगलंदास के का.मु

1. प्रदीप पुत्र आन्नद प्रकाश
2. विष्णु पुत्र आन्नदप्रकाश

5. राजुदास पुत्र मंगलदास
6. कमला पत्नी मंगलदास
7. मोहनदास पुत्र चुन्नीलाल के का.मु.

1. भंवरदास पुत्र मोहनदास
2. कालुदास पुत्र मोहनदास
3. ओमप्रकाश पुत्र मोहनदास
4. शिवदास पुत्र मोहनदास

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. पुसाराम पुत्र खेलीदास के का.मु.

1/1. सुन्दरी पत्नी पुसाराम

1/2. गणपतदास पुत्र पुसाराम

1/3. छोटीदेवी पुत्री पुसाराम

1/4. गंगा पुत्री पुसाराम

जातिया–वैष्णव, निवासी–डिगरना, तहसील–जैतारण।

2. बाबुलाल पुत्र पूनाराम
3. धर्माराम पुत्र पूनाराम

जाति–कुमावत, निवासी–डिगरणा, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:53 IST
Reason: SelfAttested

8. बाबुदास वल्द चुन्नीदास
समस्त जातियान–साद
निवासी–डिगरना,
तहसील–जैतारण जिला–पाली
राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सहपठित धारा 151सी.पी.सी

तारीख रजू:.06/06/2018

उपस्थितः–

1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 30/12/2020**

वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण संख्या 1/2 गणपत दास पुत्र पुसाराम जाति–वैष्णव , निवासी– डिगरना, तहसील–जैतारण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है कि सरहद मौजा– डिगरना, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में खसरा नंबर 306/1 कृषि भूमि, किस्म–बारानी दोयम आयी हुई है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मंदिर श्री श्याम जी महाराज डिगरना खातेदार के नाम से है उक्त आराजी वक्त सेट्लमेंट काबल काश्तपड़त कदीम थी एवं वादीगण/प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 1/2 के पिता पुसाराम को कब्जा होने के कारण 04.06.1971 को आवंटित हुई थी जिसका पट्टा तत्कालीन परगना अधिकारी ने हिरादास, चुन्नालाल, पुसाराम पुत्र खेलीदास साद के नाम आंवटित की थी। जिसका खसरा नंबर 306 रकबा 08 बीघा है। दिनांक 19.07.96 को प्रार्थीगण ने मंदिर श्यामजी के नाम से वाद दायर कर दिनांक 16.02.2004 को मंदिर श्री श्यामजी वाके देह डिगरना के नाम गलत डिक्री जारी करवा कर उक्त भूमि मंदिर श्री श्यामजी के नाम करवा दी। अप्रार्थी संख्या 1/2 गणपतदास को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना उसकी जानकारी के दिनांक 15.10.96 को उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1/2 को दिनांक 24.05.2018 को जिला कलक्टर कार्यालय, पाली से नकल प्रमाणित प्राप्त करने पर हुई। तब अप्रार्थी संख्या 1/2 ने एकपक्षीय कार्यवाही मंसुख करने हेतु नकलें प्राप्त करने से जानकारी होने से अन्दर म्याद श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो अप्रार्थी संख्या 1/2 को equity एवं natural justice के सिद्वान्तों के आधार पर सुनवाई का अवसर देकर एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1/2 के खिलाफ निरस्त करने का आदेश फरमावें। अप्रार्थी संख्या 1/1, 3,4 को प्रार्थना पत्र में पूर्व में संयोजित पक्षकार होने के कारण औपचारिक पूर्ववत् पक्षकार संयोजित किया है इनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा ग[illegible]हाज दरख्वास्त पेश कर अर्ज है कि न्यायहित में मेरे खिलाफ श्री[illegible] एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कर मुझे सुनवाई का अवसर देकर उक्त प्रकरण मेरिट पर निर्णीत करने हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण/वादीगण की तामिली हो चुकी है किसी वादीगण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण की सुनी गई और उस पर मनन किया। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। मूल वाद की आदेशिका दिनांक 15.10.1996 के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहनें से इनको विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वाद दिनांक 19.07.1996 को दर्ज होकर दिनांक 16.02.2007 को निर्णित हुआ। प्रार्थी द्वारा करीब 24 वर्ष पश्चात् उसके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करनें बाबत् निवेदन किया है, जबकि 16 वर्ष पूर्व वाद पत्र निर्णित होकर डिक्री जारी की जा चुकी है। विलंब के कारण के रूप में यह अंकित किया है '..... जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1/11 को दिनांक 24.05.2018 को जिला कलक्टर कार्यालय से प्रमाणित नकल प्राप्त करनें पर हुई।' अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर उसे सुनवाई का अवसर देनें के लिए एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की जावें।

आदेश 09 नियम 13 के अंतर्गत एकपक्षीय डिक्री को उसी दशा में अपास्त की जा सकती है, जबकि किसी प्रतिकारी के विरुद्ध सम्मन की तामील सम्यक् रूप से नहीं हुई हों या वह युक्तियुक्त कारणों कारणों से उप संजात होनें में असमर्थ रहा हो। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रतिवादी/प्रार्थी पर सम्मन की तामील सम्यक रूप से हुई थी। प्रार्थी द्वारा अनुपस्थित बाबत् कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित ही नहीं किया है। केवल यह कथन करना कि ''उसे दिनांक 24.05.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करनें पर जानकारी हुई थी'' कोई युक्तियुक्त कारण नहीं हो सकता है तथा एकपक्षीय कार्यवाही आदेश एवं डिक्री पारित किए जानें के दीर्घकाल पक्षचात बिना किसी ठोस, विश्वनीय एवं युक्तियुक्त कारण के बिना डिक्री को अपास्त करना हमारे विनम्र अभिमत में उचित, न्यायसंगत और विधिसम्मत नहीं होगा, अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थी-पत्र अंतगर्त आदेश 09, नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहित बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/12/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:53 IST
Reason: SelfAttested